



UPSI010000862026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, सीतापुर।

सी० आई० एस० नम्बर- 07/2026

निस्तारण अन्तिम आख्या-764/2025

शशिमणि कश्यप बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक-14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विद्युत विभाग के पैनल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त **विजय कुमार** के विरुद्ध धारा-138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के द्वारा अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है।

अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध वादी मुकदमा **शशिमणि कश्यप** की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या-764/2025 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक- 14.03.2026

(शैलेन्द्र कुमार वर्मा)  
विशेष न्यायाधीश (ई० सी० ऐक्ट) /  
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, सीतापुर।  
JO CODE : UP 6377

अमनदीप/-